राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांकः– एफ. 2(1)परावि/प्रशा.1/राजस्थान सम्पर्क/2019/ई–फाई नंबर–13312/ दिनांक

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद–समस्त।

विषयः–राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त/प्राप्त होने वाले परिवेदनाओं के निस्तारण बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान संपर्क पोर्टल (181 सी.एम. हेल्पलाईन) आमजन की परिवेदनाओं का समयबद्व, गुणवत्त्तापूर्ण व संतुष्टिप्रद समाधान करने हेतु प्रभावी व सशक्त माध्यम है। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर विभिन्न माध्यमों (आमजन, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, राज्यपाल सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय आदि) से दर्ज विभिन्न स्तरों पर लम्बित विभागीय प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने एवं दीर्घावधि से लम्बित प्रकरणों का समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण त्वरित निस्तारण किया जाना आवश्यक होता है।

इसी क्रम में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर कई जिलों में लाल मुंह के बंदर एवं हनुमान लंगूर के संबंध में परिवाद प्राप्त होते रहते हैं। जो वन विभाग से इस विभाग को स्थानान्तरित होते हैं एवं इस विभाग द्वारा वन्य जीव होने के कारण वन विभाग को स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रस्तावित किये जाते हैं।

वन विभाग की अधिसूचना दिनांक 18.02.2000 के द्वारा राजस्थान के समस्त जिला कलेक्टर्स को अपने–अपने अधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत लाल मुंह के बंदर एवं हनुमान लंगूर के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया हुआ है।

इसी संबंध में वन विभाग द्वारा विशिष्ट सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग को लिखे गये पत्र में लाल मुंह के बंदर एवं हनुमान लंगूर सें संबंधित परिवाद ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को भिजवाये जाने हेतु लिखा गया है।

अतः राजस्थान संपर्क पोर्टल (सी.एम. हैल्पलाईन–181) पर लाल मुंह के बंदर एवं हनुमान लंगूर सें संबंधित प्राप्त परिवाद/प्राप्त होने परिवादों के संबंध में आपके जिले के अधीन ग्राम पंचायतें इनको भगाये जाने/पकड़े जाने के संबंध में आवश्यकतानुसार, नियमानुसार अपने स्तर से व्यय कर, संबंधित पेशेवर (Professionals) की मदद लेकर, समुचित कार्यवाही कर सकती है।

(रवि जैन)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचना प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनकी अशा.टीप दिनांक 30.04.24 के क्रम में।
2. समस्त जिला कलेक्टर्स।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।

शासन सचिव एवं आयुक्त

RajKaj Ref
7395908

Document certified by Ravi Jain
<rajpr.comm@rajasthan.gov.in>.
Digitally Signed by Ravi Jain
Designation : Secretary To Government
Date :22-05-2024 03:05:54

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांकःएफ3(23)तक–II/मुवजीप्र/2008/ दिनांकः –07–2008

परिपत्र

राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांकःप11(10)वन/98 जयपुर दिनांक 18–02–2000 से वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम्–1972 की धारा–4 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत राज्य के समस्त जिला कलेक्टर्स को अपने–अपने अधिकारिक क्षेत्र मे उक्त अधिनियम् की अनुसूची–II के पार्ट–I मे उल्लेखित लाल मुंह के बन्दर (Rhesus Macaque) एवं हनुमान लंगूर (Presbytis Entellus) के सम्बन्ध मे उक्त अधिनियम् की धारा–11 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिये प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया था ।

यहाँ यह उल्लेखनिय है कि राज्य सरकार के उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों मे बन्दर एवं लंगूर से होने वाली समस्याओं का निस्तारण सम्बन्धित जिला कलेक्टर द्वारा किया जाना चाहिये । किन्तु इस राज्यादेश के उपरान्त भी राज्य मे होने वाले बन्दरों एवं लंगूरों की समस्या के मामले इस कार्यालय एवं जिला स्तरीय वनाधिकारियों को प्रेषित कर दिये जाते है । जो उचित नही है ।

अतः अब राज्य के किसी भी क्षेत्र मे बन्दरों एवं लंगूरों की समस्या के मामले राज्य सरकार के उक्त अधिसूचना के तहत सम्बन्धित जिला कलेक्टर को ही प्रेषित किये जावें ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांकःएफ3(23)तक–II/मुवजीप्र/2008/2527-2645 दिनांकः 16–07–2008

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर ।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर ।
4. समस्त संभागीय आयुक्त..........
5. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट..........
6. समस्त वन संरक्षक..........
7. समस्त मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक/..........
8. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक..........
9. रक्षित पत्रावली ।

Scanned by CamScanner